विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–208 / 2023

परिवादी

शिव कुमार अरोड़ा
पुत्र श्री सुभाष चन्दर,
फ्लेट नं0–102 दत्ता बिल्डिंग,
ग्राम–महल क्वीरा भवाली
जिला–नैनीताल,

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी मूल शिकायत में कहा गया है कि मैंने भवानी सब डिवीजन के अंतर्गत के कहल क्वीरा क्षेत्र में रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा है। जिसके लिए मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था। जिसका Ref No-111906230433 है। जिसका मेरे द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया दिनांक 27.06.2023 को डॉक्यूमेंट जमा हेतु मैसेज आया था तो मेरे द्वारा 28.06.2023 को उपखंड कार्यालय में आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों की छात्राप्रति जमा कर दी गई। लेकिन आज दिनांक 02.07.2023 को ऑनलाइन चैक करने पर पता चला कि मेरा आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि इस संबंध में मुझे कोई भी वार्तालाप या सूचना नहीं दी गई। अतः मंच के जम्मेदार सदस्यों से निवेदन है कि मुझे विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करे।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि: उपभोक्ता द्वारा दिनांक 28.06.2023 को नये संयोजन के लिए प्रपत्रों को उपखण्ड कार्यालय में जमा किया गया

जिसके सापेक्ष अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि उक्त संयोजन विल्डर/कोलोनाइजर द्वारा निर्मित बिल्डिंग (27 पलेट) में एक फ्लेट में दिया जाना है जिसमें माननीय विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही धनराशि जमा की जानी है। सम्बन्धित साइड का निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त बिल्डिग तथा इसके समीप बने वाणिज्यिक भवन दो भाईयों की भूमि पर निर्मित है। जिसमें निर्माण कार्य, परिवर्तक के सम्बन्ध में स्थान के चयन को लेकर सहमति नहीं बन पाई जिस कारण उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाई। उक्त कार्यों के सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जा रही है एवं उक्त कार्य को किये जाने के सम्बन्ध में काई भी धनराशि जमा नहीं की गयी है। धनराशि जमा न होने एवं भवन से लगभग 50 मीटर दूर परिवर्तक लगाने के लिए चयनित स्थान से बिल्डिंग के बीच स्थित भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने के कारण उक्त फ्लेटों में विद्युतीकरण का कार्य लम्बित हैं।

3. परिवादी द्वारा अपने प्रति उत्तर में कहा गया हैं कि महोदय, विभाग द्वारा दिए गए जवाब के बाबत आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा जिस बिल्डिंग के फ्लैट में विद्युत कनेक्शन मांगा जा रहा है बिल्डर द्वारा रजिस्ट्री के समय विद्युत एवं पानी का कोई भी समझौता नहीं हुआ है। प्रार्थी उपभोक्ता है ना कि बिल्डर और प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन लेना उसका मौलिक अधिकार है जिसके लिए विभाग मना नहीं कर सकता है। साथ ही यह भी अवगत कराना है की बिल्डिंग में पूर्व में भी बिल्डिंग निर्माण हेतु एक विद्युत कनेक्शन लिया गया है जोकि विभाग द्वारा ही दिया गया होगा। विभाग द्वारा उस वक्त बिल्डर द्वारा ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन हेतु धनराशि जमा क्यों नहीं कराई गई उक्त विद्युत कनेक्शन अभी तक उक्त परीक्षा में विद्यमान है अगर बिल्डर ट्रांसफार्मर व लाइन हेतु धनराशि जमा नहीं करता है तो क्या प्रार्थी बिना कनेक्शन के रहेगा जोकि विद्युत नियामक आयोग की नियमावली का उल्लंघन है अतः निवेदन है कि प्रार्थी जो कि बिल्डर नहीं है को विद्युत कनेक्शन देने हेतु विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें।

4. विपक्षी द्वारा अपने पत्र अखियां में कहा गया है उपभोक्ता श्री शिव कुमार अरोडा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, फ्लेट नं0 102, दत्ता बिल्डिग, ग्राम कहलक्वीरा को विद्युत संयोजन देने हेतू सम्बन्धी तथ्यो से अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण में श्री विनोद कुमार, बिम्बोस क्लब रिसोर्ट, नेयर पाइन ओक भवाली नैनीताल ने 56 कि०वा० के संयोजन के सापेक्ष दिनांक 18 जुलाई 2023 को भुगतान कर दिया है, जिन्हे संयोजन देने की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त परिसर में परिवर्तक लगाने के उपरान्त श्री शिव कुमार अरोडा को उनके द्वारा आवेदन करने पर संयोजन देने की कार्यवाही की जा सकती है। यद्यपि भवन से लगभग 50 मीटर दूर परिवर्तक लगाने के लिए चयनित

स्थान से बिल्डिंग के बीच स्थित भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद की अनापत्ति देने के उपरान्त ही उक्त फ्लेटो में विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ हो पायेगा। उपभोक्ता द्वारा परिवर्तक लगाये जाने वाले स्थान के पास बिल्डर द्वारा मीटरिंग रूम भी आज दिनांक तक स्थापित नहीं किया गया है। परिवर्तक से भवन की बीच में विद्युत लाईन निर्माण की अडर ग्राउन्ड केबिल का कार्य भी आज दिनांक तक बिल्डर द्वारा सम्पादित कर अवगत नहीं कराया गया है।

5. परिवादी द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिनिधि दिनांक 02.08.2023 को माननीय फोरम के समक्ष उपस्थित हुआ तथा प्रार्थी/प्रतिनिधि द्वारा माननीय फोरम के समक्ष विषयांकित वाद के सन्दर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये जिन्हें माननीय फोरम के सभी सम्मानित/आदरणीय सदस्य गणों द्वारा भलीभाँति सुना गया परन्तु विपक्षी (UPCL) के प्रतिनिधि के उपस्थिति के अभाव में विषयांकित वाद की सुनवाई दिनांक 04.08.2023 रखी गयी है चूंकि किन्ही व्यक्तिगत कार्य पड़ जाने के कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी के प्रतिनिधि को राज्य से बाहर जाना पड रहा है जिस कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी के प्रतिनिधि दिनांक 04.08.2023 को माननीय फोरम के समक्ष उपस्थिति होने में असमर्थ है। अतः प्रार्थी/प्रतिनिधि माननीय फोरम के समक्ष निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत कर रहा है:–

1.यह कि प्रार्थी ग्राम कहलक्कीरा भवाली में एक घरेलू श्रेणी का (02KW) विद्युत कनैक्शन चाहता है।

2.यह कि प्रार्थी द्वारा घरेलू श्रेणी के विद्युत कनैक्शन हेतु यूपीसीएल के ऑन लाईन पोर्टल/वेबसाईज पर ऑनलाईन आवेदन किया जिसका पंजीकरण क्रमांक 111906230433 है जिसे उपखण्ड भवाली कार्यालय द्वारा निरस्त भी कर दिया गया एवं उपखण्ड कार्यालय द्वारा पंजीकरण के निरस्तीकरण बावत् मुझे सूचित भी नही किया गया।

3.यह कि प्रार्थी उक्त ग्राम में निर्मित बिल्डिंग में एक आवासीय फ्लैट/भवन का स्वामी है तथा प्रार्थी द्वारा आवास के स्वामित्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेज एवं अभिलेख श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी भवाली के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा चुके है।

4.यह कि प्रार्थी के स्वामित्व वाले आवासीय फ्लैट/भवन पर कोई भी वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

5.यह कि प्रार्थी का आवासीय फ्लैट/भवन के समीप लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर यूपीसीएल का एल०टी० लाईन का पोल विद्यमान है जिससे प्रायः एक पथ प्रकाश/स्ट्रीट लाईन संचालित होती है एवं उसी पोल से मेरे फ्लैट के निकटवर्ती पडोसी श्री अम्बा दत्त पुत्र श्री राम को अस्थाई कनैक्शन दिया गया है जिसका कनैक्शन संख्या 590–9999–107104 है। जबकि यूपीसीएल विभाग ने मेरे पडोसी श्री

अम्बा दत्त जी से कोई अतिरिक्त चार्ज नही लिया गया। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत साधारण चार्जेज के साथ उन्हें कनैक्शन दे दिया गया।

6.यह कि प्रार्थी माननीय फोरम के समक्ष यह भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता है कि यूपीसीएल मुझे घरेलू श्रेणी के कनैक्शन हेतु जो साधारण चार्जेज (जमानत या प्रतिभूति राशि व केबिल चार्जेज या मीटर चार्जेज इत्यादि) लिया जायेगा उसका वहन प्रार्थी करने को तैयार है। परन्तु घरेलू श्रेणी एक कनैक्शन हेतु यूपीसीएल विभाग ट्रान्सफार्मर लगाने का पूरा खर्चा प्रार्थी से ही ले, यह भी न्याय संगत नही है।

अतः माननीय फोरम से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप मेरी समस्या का व्यक्तिगत संज्ञान लेने की अनुकम्पा करेगे एवं मुझे यूपीसीएल से एक घरेलू श्रेणी का कनैक्शन निर्गत करवाने की महान कृपा करेगे।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारी की ओर से अधिशासी अभियन्ता को संबोधित पत्र संख्या–334 मंच में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने पत्र में कहा गया है किः–उपरोक्त के क्रम में अधोहस्तक्षरी द्वारा अवगत कराया गया था कि श्री शिव कुमार अरोडा ने जिस परिसर में संयोजन के लिए आवदेन किया है उस परिसर में विद्युतीकरण का कार्य सम्बन्धित बिल्डर द्वारा कराया जाना था। बिल्डर के द्वारा नये संयोजन की धनराशि जमा करने के उपरान्त, परिसर पर परिवर्तक लगाने का कार्य प्रगति पर है परन्तु अवर अभियन्ता द्वारा परिवर्तक का कार्य प्रारम्भ करने हेतु जब साउट पर जाया गया तो उपभोक्ता श्री विनोद कुमार के प्रतिनिधि एवं उनके पार्टनर के मध्य परिवर्तक स्थापित होने वाले स्थान को लेकर सहमती नहीं बन पायी, जिस कारण उक्त कार्य लम्बित है। यद्यपि अवर अभियन्ता भवाली के द्वारा उनको अवगत कराया गया कि उक्त परिसर में एक उपभोक्ता श्री शिव कुमार अरोडा द्वारा माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में भी नये संयोजन नहीं मिलने हेतु शिकायत की गयी है। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा मौखिक रूप से यह कहा गया कि वर्तमान में जब तक परिवर्तक लगने वाले स्थान का विवाद पूर्ण नहीं जो जाता तब तक श्री शिव कुमार अरोडा को सबसे समीप वाले पोल से ओवरहेड केबिल द्वारा संयोजन देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विद्युतीकरण के पश्चात् उक्त बिल्डर के द्वारा मीटरिंग रूम व मीटरिंग रूम के बाद के कार्य को भूमिगत लाईन से करवाया जायेगा। उनके द्वारा दिये गये मौखिक अनापत्ति पर उपभोक्ता श्री शिव कुमार अरोड़ा का संयोजन पंजीकृत कर दिया गया है, जिसको नियमानुसार निर्गत कर दिया जायेगा।

7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा विपक्षी से 02 कि0वा0 के विद्युत संयोजन की मांग की गयी है। यह भी तथ्य है कि परिवादी द्वारा जिस फ्लैट पर विद्युत संयोजन की मांग की गयी है वह बिल्डर द्वारा निर्मित कुल 27 फ्लैटों से एक है तथा बिल्डर ने

इसके विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया है। हालांकि मंच में वाद गतिमान रहने के दौरान ही बिल्डर द्वारा विद्युतीकरण हेतु आवश्यक वांछित धनराशि अब विपक्षी के कार्यालय में जमा कर दी है। दूसरी ओर परिवादी द्वारा आवासीय योजना के विद्युतीकरण कार्य से हटकर अलग से विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवादी को उसके फ्लैट के सबसे समीप वाले पोल से ओवरहैड केबल की माध्यम से संयोजन प्रदान किया जा सकता हैं, जिस पर बिल्डर को भी आपत्ति नहीं है। साथ ही परिवादी को संयोजन देने की प्रक्रिया के तहत विपक्षी द्वारा पुनः पंजीकरण भी कर दिया गया है। अतः मंच के मत में परिवादी को संयोजन अवमुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संयोजन अवमुक्त करें तथा अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 04/09/2023

04/09/2023	04/9/2023	04/09/2023
(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीका राम जोशी)
सदस्य(उपभोक्ता)	सदस्य(तकनीकी)	सदस्य(न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित,हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 04/09/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीका राम जोशी)
सदस्य(उपभोक्ता)	सदस्य(तकनीकी)	सदस्य(न्यायिक)